




LABOUR DEPARTMENT HARYANA



Home About ▾ Labour laws Duties And Functions ▾ RTS BRAP ▾ E-Services ▾ Miscellaneous ▾ SO

» Scheme Detail / इस योजना का विस्तार

Home (मुख पृष्ठ) > Scheme detail (इस योजना का)

मकान की खरीद/निर्माण हेतु ऋण (नियम 53)



Objective of the Scheme / इस योजना का उद्देश्य

ऋण 2,00,000 रूपये तक

निर्माण कामगारों को उनके मकान की खरीद अथवा निर्माण हेतु ब्याज मुक्त ऋण।

लाभ प्राप्त करने की शर्त:

1. पंजीकृत श्रमिक की कम से कम पांच वर्ष की नियमित सदस्यता तथा 60 वर्ष की आयु होने में 8 वर्ष का समय बाकी हो।
2. कर्मकार की अधिकतम आयु 52 वर्ष की होनी चाहिए। ताकि अगले 8 वर्ष में वह ऋण की अदायगी कर सके।
3. यह सुविधा जीवन में एक बार उपलब्ध होगी।

Eligibility / पात्रता

- Membership Years / सदस्यता वर्ष : 5
- Apply Frequency / आवेदन की सीमा : 1
- Scheme For / इस योजना के लिए : All
- Continue After Death / मृत्यु के बाद जारी : No

Benefits / लाभ

Rs.200000

Process / प्रक्रिया

Work Slip / काम पर्ची

[Download Work Slip](#)

Other Schemes / अन्य योजनाएं

- » कोचिंग कक्षाओं के लिए विधि [HELP](#)
- » व्यवसायिक/तकनीकी संस्थाओं में प्रवेश सुविधा हेतु वित्तीय सहायता [FAQ](#)
- » विधवा पेंशन
- » कामगारों के मेधावी बच्चों (छात्रों) के लिए प्रोत्साहन राशी(10वीं और 12वीं)
- » प्रोफेशनल/टेक्निकल कोर्सेज के लिए वित्तीय सहायता
- » शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता (नियम 61)
- » बच्चों की शादी पर वित्तीय सहायता (सुपु (शादी के तीन दिन पूर्व)(नियम 61)
- » मातृत्व लाभ (नियम 50)
- » पितृत्व लाभ (धारा 22(1)(h))
- » औजार (टूल किट) खरीदने हेतु उपदान (नियम 55)
- » मुख्यमंत्री महिला श्रमिक सम्मान योजना (धारा 22(1)(h))
- » सिलाई मशीन योजना (धारा 22(1)(h))
- » सार्किल योजना (धारा 22(1)(h))
- » कन्यादान योजना (धारा 22(1)(h))
- » बच्चों की शादी पर वित्तीय सहायता (सुपु (नियम 61)
- » बच्चों की शादी पर वित्तीय सहायता (सुपु (नियम 61)
- » पैतृक घर जाने पर किराया (धारा 22(1)(h))
- » मुफ्त भ्रमण सुविधा (धारा 22(1)(h))
- » अक्षम बच्चों को वित्तीय सहायता (धारा 22(1)(h))
- » अंपगता सहायता (नियम 59)
- » अंपगता पेंशन (नियम 54)
- » चिकित्सा सहायता(मजदूरी क्षतिपूर्ति) (नियम 59)
- » घातक बीमारियों के ईलाज के लिए वित्तीय सहायता (धारा 22(1)(h))
- » मकान की खरीद/निर्माण हेतु ऋण (नियम 53)
- » पेंशन की योजना (नियम 51)
- » परिवारिक पेंशन (नियम 62)
- » मुख्यमंत्री सामाजिक सुरक्षा योजना (नियम 57)
- » मृत्यु सहायता (नियम 57)
- » दाह संस्कार हेतु आर्थिक सहायता (नियम 56)

» अपंजीकृत श्रमिक की मृत्यु पर (धारा 22(1)
(h))

Head Office

Labour Department, Haryana
30 Bays Building, Sector 17,
Chandigarh - 160 017

Haryana Labour Welfare Board and
HBOCW Board
Bays No. 29-30 (Pocket-II)
Sector-4, Panchkula - 134 112

CONTACT US

Phone No.

Head Office : 0172-2701373
ALC NCR : 0124-2301138
IT Cell - HQ:0172-2971057

Haryana Labour Welfare Board :

Landline : 0172-2560226
Toll Free : 1800-180-4818

HBOCWW Board :

Landline : 0172-2575300
Toll Free : 1800-180-2129

SARAL Helpline: 0172-3968400

Website : <https://saralharyana.gov.in>

Email:

For Non Technical Support :
labourcommissioner@hry.nic.in

For Technical Support :

Labour Department : mailitcelllabour@gmail.com
HLWB : hlwbgrievance@gmail.com
HBOCWWB : hbocwwb@gmail.com

